[20/12/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 1683]

परिशिष्ट "अ"

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: www.mppcb.nic.in

पंजीकृत डाक से

क्रमांक /तक/मुप्रनिबो/2019, भोपाल, दिनांक

2252
29/6/19

प्रति,

1. आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
"बी" विंग, दूसरी मंजिल,
पासपोर्ट ऑफिस के ऊपर, आईएसबीटी कैम्पस,
भोपाल-462023 (म.प्र.)।

2. मैनेजिंग डायरेक्टर,
मेसर्स नेकॉफ इंडिया लिमिटेड,
5/1, कनाट पैलेस,
रफी मार्ग, ब्लाक-ए,
नई दिल्ली -110001.

विषय :- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् बोर्ड की स्थापना सम्मति के बगैर स्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के उल्लंघन बावत् - कारण बताओ नोटिस।

संदर्भ :-
1. बोर्ड का कारण बताओ नोटिस क्रमांक 1421 दिनांक 22/04/2019
2. बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के दल द्वारा स्थल का निरीक्षण दिनांक 22/04/2019

---

1. यह कि, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-4 के अंतर्गत हुआ है, बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन कर रहा है।

2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33'क', वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-31'क' एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विधि सम्मत बंधनकारी निर्देश जारी करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

3. यह कि, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयत्र नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-13012/16/2017-IA-II(T) दिनांक 11/01/2019 द्वारा अधिष्ठाता, मेसर्स भोपाल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रा.लिमि. को ग्राम कोलुआखुर्द, आदमपुर छावनी, विकासखण्ड फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल में प्रस्तावित नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबधन संयंत्र (21 मेगावाट पॉवर प्लांट) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। संस्थान द्वारा पूर्व में बोर्ड की स्थापना सम्मति हेतु किया गया ऑनलाईन आवेदन भारत सरकार की पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में दिनांक 02/04/2018 को निरस्त किया जा चुका है। बोर्ड से स्थापना सम्मति प्राप्त करने हेतु आज दिनांक तक पुनः आवेदन नहीं किया गया है।

4. यह कि, दैनिक भास्कर, नवदुनिया इत्यादि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के दल द्वारा दिनांक 22/04/2019 को आदमपुर छावनी स्थित नगर पालिक निगम भोपाल की एमएसडब्ल्यू साईट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान निम्न कमियाँ पाई गई :-

   1. नगर पालिक निगम भोपाल द्वारा आदमपुर छावनी साईट पर भोपाल शहर के ठोस अपशिष्ट का निपटान हेतु बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया है, जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

...ी अग्रवाल
...ज्ञानिक

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016

☎ (0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: www.mppcb.nic.in

2. नगर पालिक निगम द्वारा मेसर्स नेकॉफ इंडिया लिमिटेड को आमदमपुर छावनी साईट पर 400 टन प्रतिवेदन ठोस अपशिष्टों का सेग्रीगेशन एवं कम्पोस्टिंग हेतु अनुबंध किया गया है। इस हेतु नगर पालिक निगम/मेसर्स नेकॉफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बोर्ड से आवश्यक सम्मति एवं प्राधिकार प्राप्त नहीं किया गया है।

3. इस प्रकार बिना स्थापना सम्मति/प्राधिकार के अपशिष्टों का प्रसंस्करण कर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 का उल्लंघनं किया जा रहा है।

4. बोर्ड के पत्र कमांक 1421 दिनांक 22/04/2019 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस (छायाप्रति संलग्न) का उत्तर आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जिम्मेदार संस्था नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा सावधानी न बरतने के कारण एम.एस. डब्ल्यू. साईट आदमपुर छावनी में डम्प ठोस अपशिष्टों में आग लगने के कारण आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या भी निर्मित हो गई थी।

अतः उपरोक्त कारणों से नगर पालिक निगम, भोपाल/ मेसर्स नेकॉफ इंडिया लिमिटेड जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन के दोषी है। पूर्व में बोर्ड के पत्र दिनांक 22/04/2019 द्वारा जारी नोटिस में उल्लेखित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जानकारी भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस संबंध में आप अपना पक्ष नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। उत्तर प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक न होने पर संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार विधिसंगत कार्यवाही की जावेगी।

sd/-

(ए.ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव

पृ.कमांक 1904 /तक/मुप्रनिबो/2019, भोपाल, दिनांक 27-6-19

प्रतिलिपि :-

1. मेसर्स नेकॉफ इंडिया लिमिटेड, एच.आई.जी. 6, तीसरी मंजिल, आमेर काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, जोन–2, भोपाल 462011 (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, शिवाजी नगर, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(ए.ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव

डॉ आर... अग्रवाल

...ानिक

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

(0755) 2464428, 2466191 fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक /तक/प्रनिबो/2019 भोपाल, दिनांक / /

प्रति,

एडिशनल कमिश्नर (एसबीएम),
नगर पालिका निगम,
दूसरी मंजिल, पासपोर्ट आफिस के ऊपर,
आई.एस.बी.टी. कैम्पस, अम्बेडकर मार्ग,
चेतक ब्रिज के पास,
भोपाल- 462023 (म.प्र.)

विषय - ग्राम कोलुआ खुर्द आदमपुर छावनी, जिला भोपाल में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बोर्ड की स्थापना सम्मति एवं प्राधिकार प्राप्त करने के संबंध में।

संदर्भ - 1. बोर्ड का कारण बताओ नोटिस क्रमांक 1903 दिनांक 27/06/2019
2. आपका पत्र क्रमांक बीएमसी/एसबीएम/2019/160, दिनांक 08/07/2019

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। नगर निगम भोपाल के आदमपुर छावनी स्थल पर भोपाल शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् स्थापना सम्मति तथा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत् प्राधिकार प्राप्त करने हेतु मैसर्स नेकॉफ इंडिया लिमिटेड द्वारा आज दिनांक तक बोर्ड में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मेसर्स नेकॉफ इंडिया लिमिटेड को बोर्ड से स्थापना सम्मति तथा प्राधिकार हेतु एक्सजीएन के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में सशुल्क ऑनलाईन आवेदन शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।

(आर.एस.कोरी)
सदस्य सचिव

पृ.क्रमांक 2367 /तक/प्रनिबो/2019 भोपाल, दिनांक 26/8/19

प्रतिलिपि :-

1. राज्य प्रबंधक, मैसर्स भारतीय राष्ट्रीय कृषक उपज उपार्जन, प्रसंसकरण एवं फुटकर सहकारी संघ मर्यादित (नेकॉफ), एच.आई.जी 6, तीसरी मंजिल, आमेर काम्पलेक्स, जोन-2, एम.पी.नगर, भोपाल-462011 (म.प्र.)। आपके पत्र दिनांक 10/07/2019 के संदर्भ में बोर्ड से स्थापना सम्मति एवं प्राधिकार हेतु 15 दिवस के भीतर एक्सजीएन के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में सशुल्क ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

EE-II

(आर.एस.कोरी)
सदस्य सचिव